

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।

21-09-2022

प्रार्थिनी शालिनी तोमर की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी द्वारा अश्वनी आदि के विरुद्ध अ0सं0-99/2020 धारा-323,324 भा0दं0सं0 थाना कटघर मुरादाबाद में दर्ज कराया गया है जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। एक अन्य मुकदमा अ0सं0- 526/2019 राज्य बनाम अश्वनी आदि धारा-498ए,323,506 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0एक्ट थाना ठाकुरद्वारा न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थिनी दोनों मुकदमों में वादिनी है। प्रार्थिनी को अमरोहा से ठाकुरद्वारा आने जाने में काफी परेशानी होती है जिसका लाभ अभियुक्तगण ले रहे हैं। प्रार्थिनी द्वारा दोनों मुकदमों का निस्तारण एक ही न्यायालय से किया जाना आवश्यक है। प्रार्थिनी द्वारा अ0सं0-526/2019 राज्य बनाम अश्वनी आदि धारा-498ए,323,506 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0एक्ट थाना ठाकुरद्वारा जो न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ठाकुरद्वारा में विचाराधीन है, को स्थानान्तरित किये जाने का निवेदन किया गया है।

न्यायालय सिविल जज। जू0डि0।/न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा से प्राप्त आख्या अनुसार वाद सं0- 3098/2020 अ0सं0- 526/2019 राज्य बनाम अश्वनी आदि धारा-498ए,323,506 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0एक्ट थाना ठाकुरद्वारा की पत्रावली इस न्यायालय में लम्बित है। पत्रावली स्थानान्तरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

मामलें के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वाद सं0- 3098/2020 अ0सं0- 526/2019 राज्य बनाम अश्वनी आदि धारा-498ए,323,506 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0एक्ट थाना ठाकुरद्वारा को न्यायालय सिविल जज। जू0डि0।/न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा से न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद में विधि अनुसार निस्तारण हेतु वापस लिया जाता है।

(मनीष कुमार द्वितीय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मुरादाबाद।